भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 1580**
**(जिसका उत्तर सोमवार, 9 फ़रवरी, 2026/20 माघ, 1947(शक) को दिया जाना है)**

**आयकर अधिनियम की नई धारा 247**

1580. **श्री गिरिधारी यादवः**
**श्री दिनेश चंद्र यादवः**
**श्री रामप्रीत मंडलः**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर अधिनियम में 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होने वाली नई धारा 247 के लागू होने से करदाताओं के बीच काफी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि यह आयकर अधिकारियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग करके डिजिटल स्पेस तक पहुंचने की असीमित शक्ति प्रदान करती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**वित्त राज्य मंत्री**
**(श्री पंकज चौधरी)**

(क) और (ख) तलाशी और जब्ती प्रावधानों से संबंधित आयकर अधिनियम, 2025 ('अधिनियम') की धारा 247 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 के प्रावधानों के अनुरूप है। यद्यपि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के एक्सेस कोड को ओवरराइड करने की शक्ति आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 के तहत पहले से ही उपलब्ध थी, डिजिटल स्पेस के विकास और प्रौद्योगिकी में तीव्र प्रगति को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम में इसके लिए विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं।

इसके अलावा धारा 247 या इससे संबंधित किसी भी प्रावधान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का कोई उल्लेख नहीं है।

अतः इस अधिनियम की धारा 247 के प्रावधानों ने आयकर प्राधिकारियों को कोई नई शक्ति प्रदान नहीं की है।